पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

आपराधिक याचिका (डी. बी.) सं. 253/1995

थाना- गोपालपुर, जिला- गोपालगंज से उत्पन्न कांड सं.- 54 वर्ष- 1992

==========

परशुराम पांडे, पुत्र- चंद्रदेव पांडे, साकिन ग्राम- चैलवान, थाना- गोपालपुर, जिला- गोपालगंज

..... अपीलार्थीगण

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

के साथ

आपराधिक याचिका (डी. बी.) सं. 293/1995

==========

त्रिभुवन पांडे, पे.- रामचन्द्र पान्डे, साकिन ग्राम- चैलवान, थाना-गोपालपुर, जिला-गोपालगंज

..... अपीलार्थीगण

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

भारतीय दंड संहिता 302/149, शस्त्र अधिनियम धारा 27

तथ्य-मृतक बेटे के साथ फोटो अभिप्रमाणित करवाने के लिए मुखिया के घर गया था-वापसी यात्रा-तीखी नोक झोंक-आरोपी व्यक्ति-सशस्त्र थे-मृतक पर करीब से गोलियां चलाईं-मकसद-आरोपी ने मुखबिर के खेत से गन्ने की फसल काट दी-विरोध किया-नोक झोंक हुई-चश्मदीद गवाह-परिवारों के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं-योग्यता रहित-अपील खारिज कर दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

आपराधिक याचिका (डी. बी.) सं. 253/1995

थाना- गोपालपुर, जिला- गोपालगंज से उत्पन्न कांड सं.- 54 वर्ष- 1992

==========

परशुराम पांडे, पुत्र- चंद्रदेव पांडे, साकिन ग्राम- चैलवान, थाना- गोपालपुर, जिला- गोपालगंज

..... अपीलार्थीगण

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

के साथ

आपराधिक याचिका (डी. बी.) सं. 293/1995

==========

त्रिभुवन पांडे, पे.- रामचन्द्र पान्डे, साकिन ग्राम- चैलवान, थाना-गोपालपुर, जिला-गोपालगंज

..... अपीलार्थीगण

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

उपस्थिति:

(आपराधिक याचिका (डी. बी.) संख्या 253/1995)

अपीलार्थी/ओं की ओर सेः- श्री जितेंद्र कुमार गिरि, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं की ओर सेः- सुश्री शशि बाला वर्मा, ए.पी.पी.

(1995 का आपराधिक याचिका (डीबी) संख्या 293/1995)

अपीलार्थी/ओं की ओर सेः- श्री जितेंद्र कुमार गिरि, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं की ओर सेः सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजक

गणपूर्तिः माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम. बदर

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार पंवार

सीएवी निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार पंवार द्वारा)

दिनांकः 19-04-2022

पक्षों को सुना।

2. यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 1995 की आपराधिक याचिका (डी. बी.) संख्या 253, दिनांकित 05.04.2022 आदेश के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 2 से 6 तक अर्थात (सुरेंद्र पांडे, सुरेंद्र राय, कंचन राय, रामचंद्र पांडे और चंद्रदेव पांडे) के संबंध में समाप्त हो जाती है। क्योंकि उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है, हालाँकि, यह अपील अपीलार्थी सं.1 अर्थात्, परशुराम पांडे के संबंध में आगे बढाई गई है।

3. इन दोनों याचिकाओं को अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्ध न्याय दिनांक 21.08.1995 तथा गोपालगंज थाना कांड संख्या- 54/1995 से उत्पन्न सत्र विचारण सं. 249/1993 एवं 54/1993 के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 द्वारा पारित सजा के आदेश दिनांक 22.08.1995 के विरुद्ध प्राथमिकता दी गई है। जिसके तहत अपीलार्थी त्रिभुवन पांडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया है और अन्य आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा

302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तदनुसार, त्रिभुवन पांडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और बाकी दोषियों/अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

4. सूचना देने वाले रोशन कामकर के फरदबेयान के अनुसार, अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 30.10.1992 को लगभग 2 बजे, यह सूचना देने वाला (पीडब्लू-3) अपने पुत्र नंदलाल कर्मकर के साथ मुखिया श्याम सुंदर राय के घर अपनी तस्वीरों को सत्यापित करने के लिए गया था और जब वे अपनी तस्वीरों को सत्यापित कराने के लिए अपने घर वापस आ रहे थे, तो अचानक प्राथमिकी नामजद अभियुक्तो से नोकझोक हुई, जो देशी कट्टा से लैश थे और आरोपी कंचन राय, सुरेंद्र राय और परशुराम पांडे ने नंद लाल कामकर को पकड़ लिया और पीड़ित पर जानलेवा हमले के लिए चंद्र देव पांडे के आदेश पर आरोपी त्रिभुवन पांडे ने अपने देशी कट्टा से नंद लाल कर्मकार पर बहुत करीब से गोली चला दी, जिससे मृतक की बाईं भौं के नीचे और नाक के नीचे गोली लग गई, जिससे नंद लाल चिल्लाया और नीचे गिर गया और बहुत खून बहने लगा, इसके बाद आरोपी रामचंद्र पांडे, सुरेंद्र पांडे और सुरेश चौधरी तीन दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में खड़े हो गए और धमकी देने लगे कि जो भी सामने आएगा, उन्हें गोली मार दी जाएगी। गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां जमा हो गए और आरोपी व्यक्ति घटना स्थल से भाग गए। एफ. आई. आर. में बताए गए घटना के पीछे का मकसद यह था कि दिनांक 30.10.1992 से 15 दिन पहले आरोपी त्रिभुवन पांडे और सुरेंद्र राय ने मुखबिर के खेत से गन्ने का पौधा काट दिया था और उस समय मृतक (नंद लाल कामकर) ने इसका विरोध किया था और आरोपी और अपीलार्थी के बीच बहस भी हुई थी।

5. जाँच पूरी होने के बाद, सभी नामजद अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। इसके बाद, मामला सत्र न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन के लिए लाया गया। आरोपों को अभियुक्त व्यक्तियों के समक्ष पढ़ा गया और समझाया गया, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। उनका बचाव यह है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उन्होंने निर्दोष होने का दावा किया है।

6. अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों से पूछताछ की गई है।

7. पीडब्लू-7 (शंभू कुमार केडिया) डॉक्टर हैं, जिन्होंने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया था और पीडब्लू-8 (पारस नाथ सिंह) अनुसंधानकर्ता हैं, जिन्होंने प्रारंभिक चरण में मामले की जांच की है।

8. हमने इन अपीलों के न्यायसंगत निर्णय के लिए मौखिक रूप से अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य के साथ-साथ दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

9. पीडब्लू-1 श्याम सुंदर राय है, पीडब्लू-2 ब्रज किशोर प्रसाद है, पीडब्लू-3 रोशन कामकर है (इस मामले का मुखबिर), पीडब्लू-4 श्रीराम लाल है, पीडब्लू-5 सर्वजीत साह है और पीडब्लू-6 राजदेव कामकर है। पीडब्लू-5 को छोड़कर, सभी गवाहों ने घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। इन गवाहों के नाम भी फरदबेयान में चश्मदीद गवाह के रूप में रखे गए हैं। सूचना देने वाले ने अपने फ़र्दबेयान में यह भी दावा किया है कि इस घटना को सूचना देने वाले ने खुद और इन अन्य गवाहों ने भी देखा था।

10. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तीन गुना दलीलें दी हैं-सबसे पहले, घटना से पहले मृतक और अपीलार्थियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। चूँकि सूचना देने वाले ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए यह बात सामान्य विवेक

से परे है कि अपीलकर्ता मृतक की हत्या करने के लिए घटना स्थल पर क्यों जाएगा। इसलिए घटना की उत्पत्ति संदिग्ध है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू-5 से पूछताछ की गई है, जिसे त्रिभुवन और सुरेंद्र राय द्वारा गन्ने के पौधे की कटाई की घटना के गवाह के रूप में पेश किया गया है। उनकी प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि वह अपने खेत में गए थे, हालांकि उनके खेत में कोई काम नहीं था और उन्होंने नंदलाल के खेत में गन्ने के पौधे की कटाई की घटना देखी। गन्ने के पौधे की कटाई की वास्तविक घटना के संबंध में इस गवाह के साक्ष्य की पुष्टि की गई है। मुखबिर (रोशन लाल कामकर) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना के समय उसके परिवार और आरोपी व्यक्तियों के परिवार के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह पौधों को काटने की घटना के बाद गाँव में आरोपी से मिलता जुलता था और अभिवादन का आदान-प्रदान भी होता था। इस बिंदु पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने ठीक निरीक्षण किया है कि-

> "मानवीय उद्देश्य बहुत रहस्यमय तरीके से चलते हैं और यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन किस तरीके से और किस समय व्यवहार करेगा। एक व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए कोई विशेष क्षण चुन सकता है और जब भी वह अपने संभावित पीड़ितों से मिलता है तो उससे अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। "

11. हमारी यह राय है कि घटना के कथित स्थान पर गोलीबारी की कथित घटना के बिंदु पर सभी पीडब्ल्यू का साक्ष्य सुसंगत और भरोसेमंद है। यह मामला अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा घटना के स्थान, घटना के तरीके और अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए हथियारों पर दिए गए प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। इसलिए इस मामले के उद्देश्य जो प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य अदालत द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए

सहायक और उपयोगी हो सकता है। अपीलार्थियों की ओर से उठाए गए इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है, जबकि घटना की उत्पत्ति पीडब्लू-5 और अन्य गवाहों द्वारा अच्छी तरह से साबित की गई है।

12. दूसरा, अपीलार्थियों की ओर से यह निवेदन किया जाता है कि निचली अदालत ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भरोसा किया है, जो अनुभवी अपराधी है और कई हत्या के मामलों में आरोपी है। पीडब्लू-1 का दोषियों/अपीलार्थियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध है, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों को इस मामले में गलत तरीके से मुखिया (पीडब्ल्यू-1) के इशारे पर फँसाया गया है। घटना स्थल इस मुखिया पीडब्लू-1 के घर के पास स्थित था और जब मुखबिर अपने पुत्र के साथ अपने घर वापस लौट रहा था, तो कथित घटना के सभी आरोपी व्यक्ति मुखिया (श्याम सुंदर, पीडब्लू-1) के बाखर के पास नंदलाल के साथ बहस किए और मृतक पर गोलियां चला दीं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। यह निवेदन प्रशंसनीय नहीं है कि सूचना देने वाला (पीडब्लू-3) रोशन कामकर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपने प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए खुद को मुखिया के हाथों मोहरे के रूप में क्यों पेश करेगा। पीडब्लू-1 (श्याम सुंदर राय) के कहने पर अभियुक्त व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सभी गवाह तस्वीरों को सत्यापित कराने के लिए मुखिया के घर पर मौजूद होते हैं क्योंकि मुखिया को कार्ड पर तस्वीरों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिनका उपयोग किसानों द्वारा चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति के लिए किया गया था और इस विशिष्ट दिन मुखिया के घर पर इतने सारे व्यक्तियों की उपस्थिति काफी स्वाभाविक परिस्थिति थी। बचाव पक्ष की ओर से, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिखाई गई है कि दोषियों/अपीलकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है और किसी अन्य द्वारा किया गया है और सभी गवाह मृतक (नंद लाल कामकर) की हत्या के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में दृढ़ता से खड़े रहे।

13. तीसरा, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि मृतक (नंद लाल कामकर) की मृत्यु के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुरूप नहीं है। विचारण के दौरान जांचे गए गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी त्रिभुवन पांडे ने मृतक के शरीर पर देसी बंदूक का थूथन डाल दिया था और गोली चला दी थी, लेकिन मृतक का पोस्टमॉर्टम करते समय डॉक्टर (पीडब्लू-7) को न तो कोई काला रंग मिला और न ही कोई जली हुई चोट का पता चला। डॉक्टर पीडब्लू-7 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि जख्म सं. 1 जो प्रवेश का घाव है, मृतक पर गोलीबारी के समय मृतक के शरीर के साथ बंदूक की नली के संपर्क का कोई संकेत नहीं था, जबकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा है कि त्रिभुवन पांडे ने पीड़ित के शरीर से सटाकर अपने *कट्टा* से गोली चलाई थी।

14. हमने इस तर्क के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का अवलोकन किया। पी. डब्ल्यू.-3, मुखबिर ने अपने फरदबेयान में उल्लेख किया है कि त्रिभुवन पांडे ने अपने पुत्र नंद लाल कामकर (मृतक) के चेहरे पर करीब से गोली चला दी। इसलिए गवाहों ने अपने बयान में 'सटाकर' शब्द का इस्तेमाल किया है और हमारी विचार से, गोलीबारी बहुत करीब से की गई थी जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है। आम व्यवहार में, 'सटाकर' का अर्थ है 'निकट सीमा' से अधिक और कम कुछ नहीं। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि एक गोली में सीधी यात्रा करने की प्रवृत्ति होती है और यदि सबूतों के अनुसार, पीड़ित को नाक के पास मारा गया था, तो यह स्पष्ट नहीं था कि गोली मस्तिष्क में कैसे घुस गई, जो नाक क्षेत्र की तुलना में सिर के उच्च स्तर पर है।

15. इस संबंध में, उसने निचली अदालत द्वारा उचित रूप से पर्यवेक्षण की हैः- “यह आम जानकारी की बात है कि गाँवों में, रास्ते असमान हैं और इसलिए मृतक के हमलावर से उच्च स्तर पर खड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यदि हमलावर निचले स्तर पर खड़े मृतक को मारेगा, तो पीड़ित के शरीर में प्रवेश

करने वाली गोली मस्तिष्क पदार्थ तक जा सकती है। मृतक की बाईं भौं के नीचे नाक के पास प्रवेश का केवल एक घाव पाया गया और आसपास की हड्डियां टूट गई थीं। गोली का टुकड़ा मस्तिष्क के पदार्थ से बरामद किया गया था। डॉक्टर ने कहा है कि मस्तिष्क का पदार्थ अर्ध तरल है। इसलिए, गोली के मस्तिष्क के तरल भाग में बंद होने और अटकने की संभावना बहुत अधिक है। यह बाहर निकलने वाले घाव की अनुपस्थिति की भी व्याख्या करेगा। विद्वान वकील ने मृतक के चेहरे पर जलने की घाव की अनुपस्थिति को भी संदर्भित किया। लेकिन विद्वान वकील इस बात पर ध्यान देने से चूक गए कि मृतक के चेहरे पर कई पिन-हेड आकार के जले हुए धब्बे थे। जले हुए स्थानों पर जले हुए पदार्थ शामिल होंगे। चूँकि बंदूक का उपयोग बहुत निकट दूरी से किया जाता था, चेहरे पर जले हुए धब्बे चोट का एक स्वाभाविक परिणाम था। इसलिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर का साक्ष्य अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य के काफी अनुरुपता में था।

16. प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए जाते हैं और वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही का अधिक प्रमाणिक मूल्य होता है। इस मामले में, डॉक्टर ने कहा कि मौत रक्तस्राव और गोली लगने के जख्म के सदमे के कारण हुई थी। इसलिए हमने इस बात की पुष्टि की है कि पीडब्ल्यू के साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित है।

17. उपलब्ध अभियोजन पक्ष के सबूतों की बारीकी से जांच के बाद, यह स्पष्ट है कि आरोपी चंद्रदेव पांडे ने मृतक नंदलाल कामकर पर जानलेवा हमले का आदेश दिया और आरोपी/अपीलकर्ता सुरेंद्र पांडे, कंचन राय और परशुराम पांडे ने मृतक नंदलाल कामकर को पकड़ लिया और आरोपी/अपीलकर्ता त्रिभुवन पांडे ने मृतक पर गोली चला दी। यह स्पष्ट है कि साक्ष्य में, पीडब्लू ने कभी चार व्यक्तियों, कभी दो व्यक्तियों और कभी तीन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो जो मृतक नंदलाल कामकर को पकड़ रहे थे लेकिन

पीडब्लू इस बात पर एकमत हैं कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने मृतक नंदलाल कामकर और उनके पिता मुखबिर (पीडब्लू-3) को घेर लिया था जब वे अपनी तस्वीरों को सत्यापित करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। यह सामान्य कानून है कि गैरकानूनी सभा के सदस्यों का प्रत्यावर्ती दायित्व केवल निम्नलिखित तक फैला हुआ हैः- (1) गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए गए कार्य, और (2) ऐसे अपराध जिन्हें गैरकानूनी सभा के सदस्य उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना जानते थे। अभियुक्त व्यक्ति जिसका मामला आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आता है, वह बचाव नहीं कर सकते है कि उसने गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में या सभा के सदस्यों के लिए अपराध अपने हाथ से नहीं किया था। वह जानता था कि इस तरह का अपराध होने की संभावना है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे मामले हों कि गैरकानूनी सभा का गठन करने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ स्पष्ट कार्य करना चाहिए। जहाँ अभियुक्त हथियार लेकर एकत्र हुए थे और हमले में पक्षकार थे, वहाँ अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि प्रत्येक विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी भी सदस्य या अन्य सदस्यों द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार होता है।

18. इसलिए गैरकानूनी सभा के मामले में, यह कोई मायने नहीं रखता कि मृतक को किसने पकड़ लिया, आरोपी व्यक्तियों ने मृतक को किस दिशा में घेर लिया और किस आरोपी पर हमला किया। इस मामले में, यह विश्वसनीय सबूत है कि त्रिभुवन पांडे ने आरोपी चंद्रदेव पांडे के आदेश पर करीब से गोलीबारी की और अन्य सभी आरोपी देश में बने आग्नेयास्त्रों के साथ खड़े थे। हालांकि, निरंतरता या मामूली बिंदुओं में सुधार में मामूली विरोधाभासों को ऐसा आधार नहीं बनाया जा सका जिसके आधार पर साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। उन गवाहों के मुँह से कुछ मतभेद स्वाभाविक हैं जो एक साल के

अंतराल के बाद गवाही दे रहे थे या जो स्मृति के नुकसान पर भी निर्भर हो सकते हैं। घटना स्थल पर अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

19. पीडब्लू-7 अनुसंधानकर्ता है जिसने जाँच के प्रारंभिक चरण में मामले की जाँच की कि उसने घटना स्थल का दौरा किया और घटनास्थल से खून से सना हुआ मिट्टी उठाया। इसलिए मौके पर खून की उपस्थिति एक घटना साबित करती है और कथित अपराध में आरोपी की भागीदारी के संबंध में नेत्र साक्ष्य की पुष्टि करती है। यह स्पष्ट है कि दूसरे आई. ओ. की जांच नहीं की गई है, जिन्होंने पी. डब्ल्यू. का बयान दर्ज किया था, इसलिए दूसरे आई. ओ. की जांच नही करना अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है।

20. ऊपर चर्चा किए गए अभिलेख के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इसलिए, ये दोनों अपीलें योग्यता से रहित हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं।

21. तदनुसार, ये दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(सुनील कुमार पनवार, न्यायमूर्ति)

(ए.एम. बद्दर, न्यायमूर्ति)

(ए.एम. बद्दर, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।